18-1-18

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 8-3-18 को पेश हो।

8

8-3-18

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 16-5-18 को पेश हो।

18-6-18

पत्रावली वास्ते लोक अदालत के माध्यम से आपसी में पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई नकल खसरा नं. 1083/0.80, 1084/1.25 किता 2 कुल रकबा 2.05 है. की खातेदारी आवेदक का प्रमाण 1/06 के नाम दर्ज शुदा है तथा ख.नं. 1080/0.36, की खातेदारी आवेदक का 1/06 के नाम तथा ख.नं. 1078/0.55 है. की खातेदारी आवेदक का 5 9 के नाम दर्ज शुदा थी आवेदक ख.नं. पुराना 492 की पूर्वी सीमा को छोड़कर पुराने ख.नं. 484 में एक पुराना रास्ता मौजूद था. 1558 की सी/2 से दर्ज था जो सहीयान ख.नं. 492 0.49 है. मय केवल सीमा की

आदेश	कार्यवाही विवरण
	[illegible] नहीं था। प्रकरण के कारण [illegible] अधिकारी कर्मचारियों ने बीना ग्राम सभा [illegible] 182 किलो वर्तमान ग.न. 1083 की भूमि बीना वर्तमान नक्शा रेड में वाहन मार्ग [illegible] रास्ता खोलने के आधार पर [illegible] ग.न. 1083 में जबरन बीना का रास्ता अलग चाहता है। अतः तत्कालिन [illegible] ग.न. 1083 का [illegible] निरस्त किया जाये कि मौके वास्तविक स्थिति के साथ [illegible] बनाई रहे। [illegible] ग.न. 1083 की अंतरिम [illegible] निषेधाज्ञा से दिनांक 1.7.14 को पारित किया गया है। पत्रावली वर्तमान में [illegible] 2, 6, 7, 9 की तरफ हेतु नियमानुसार उक्त पत्रावली दि. 22.7.14 हेतु [illegible] के निचाले में अंतरिम स्थिति में [illegible] निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] खारीज किया जाता है। अंतरिम [illegible] निषेधाज्ञा दि. 1.7.14 खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल हुआ होने [illegible] के नक्शा बाद [illegible] आवश्यक [illegible] दिनांक 18.6.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी [illegible]